



अमृत विचार

लोक दर्पण

रविवार, 3 अगस्त 2025

www.amritvichar.com

अंग प्रत्यारोपण में चुनौतियां

अंग प्रत्यारोपण में नीति विषयक यानी एथिकल मुद्दा एक प्रमुख विषय है। मांग की तुलना में अंगों की कमी को देखते हुए ट्रांसप्लांट के लिए शरीर के अंगों की तस्करी जैसी असंवैधानिक गतिविधियां भी देखने में आती हैं। भारत में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में शोधकर्ताओं द्वारा मानव अंगों के स्थान पर जंतुओं के अंगों और बायोइंजीनियर्ड यानी प्रयोगशाला में निर्मित अंगों के प्रत्यारोपण के विकल्पों पर शोध किए जा रहे हैं। इससे मानव अंगों की मांग में कमी आ सकती है, परंतु मानव अंग प्रत्यारोपण का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकता। ऐसे अंग उपलब्ध हो भी जाएं तो उन पर लगने वाली भारी लागत के चलते आम लोगों के लिए दुर्लभ ही साबित होंगे।

- अंगदान के विषय में लोगों में जागरूकता का बड़ा अभाव है।
- अंगों की अवैध तस्करी एक बड़ी समस्या है।
- अंगदान करने वाले व्यक्ति की चिकित्सा पात्रता की जांच करना आवश्यक है।
- अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
- मृतक दानकर्ता की पहचान और अंगदान के प्रबंधन में कमी।
- प्रत्यारोपण के महत्व तथा अंगदान के संबंध में सांस्कृतिक प्रतिरोध के साथ-साथ समुदाय में जानकारी एवं जागरूकता में कमी।
- समुदाय में किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को पूरी तरह निष्क्रिय होने से बचाने हेतु उपयुक्त इलाज को बढ़ावा देने के लिए समुदाय में किडनी रोग की उपस्थिति पर जानकारी नहीं होना।
- जीवित अंगदानकर्ता को जोर जबरदस्ती और शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था में कमी।

अंग प्रत्यारोपण से संबंधित जटिलताएं


ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के मार्ग में सर्जरी की प्रक्रिया से संबंधित जटिलताएं मुख्य होती हैं। इस प्रक्रिया में संक्रमण, प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी होने के चलते बाहरी अंग का स्वीकार नहीं करने जैसी स्थितियां प्रमुख बाधक होती हैं।

सरकारी प्रयास

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ऑर्गेन ऐंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनओटीटीओ अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जो अंगदान के मामलों को संचालित करती है तथा उन पर नजर रखती है। वह संस्था लोगों में अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। सरकार द्वारा अंगदान के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और अंगदान से जुड़े विविध पहलुओं पर लोगों में जागरूकता अभियान का संचालन किया जाता है।

अंगदान से संबंधित कानून

अंगदान की आड़ में मानव अंगों की तस्करी जैसी कुरीतियों पर नजर रखने और उन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कानून का प्रावधान है। भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण के संबंध में सर्वप्रथम 11 जुलाई, 1994 में दि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ़ द ह्यूमन ऑर्गेन्स ऐक्ट 1994 पारित किया गया था। जिसके अंतर्गत चिकित्सीय प्रक्रिया के लिए अंगों को निकालने, उनके भंडारण एवं प्रत्यारोपण के लिए नियमों के उपयुक्त अनुपालन का प्रावधान था। इस अधिनियम की आवश्यकता सर्वप्रथम महाराष्ट्र, गोवा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में प्रस्तावित की गई, जिसे बाद में आंध्र प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अपनाया गया। उसके बादजुद्ध मानव अंगों के व्यापारीकरण तथा मानव तस्करी की संख्या में कोई गिरावट नहीं देखी गई। इसलिए वर्ष 2009 में इस अधिनियम की विस्तारितियों को दूर करने के लिए संशोधन की इच्छा व्यक्त की गई। वर्ष 2011 में इस अधिनियम में संशोधन को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया तथा वर्ष 2014 में इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनों का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम का



मुख्य उद्देश्य प्रत्यारोपण के व्यापारीकरण को रोकना था। अतः भारत में अंगदान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला मुख्य अधिनियम “मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994” है, जिसे 2011 और 2014 में संशोधित किया गया था। वैश्विक स्तर पर वर्ष 1987 से विश्व स्वास्थ्य असेंबली में अंग प्रत्यारोपण के संबंध में अनेक हस्ताव पारित किए गए। हाल ही में वर्ष 2024 में आयोजित विश्व स्वास्थ्य असेंबली में सभी सदस्य देशों से आह्वान किया गया कि आग प्रत्यारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए तथा अनैतिक अवसरों को प्रतिबंधित किया जाए।


इस प्रकार अंगदान को महानदान माना जाता है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान सहायक हो सकता है। इस संबंध में भारतीय कानून का पालन करते हुए जीवित व्यक्ति अथवा मृतक के अंगों, उनके हिस्से को वांछित व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर बड़ी संख्या में लोगों को मौत से बचाया जा सकता है।

कड़ी सावधानियां

दानकर्ता से प्राप्त अंग को प्राप्तकर्ता में प्रत्यारोपित करने से पहले कड़ी सावधानियां अपनानी पड़ती हैं। ट्रांसप्लांट सेंटर में विधिवत जांच के पश्चात प्रभावित व्यक्ति को राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाता है, इसके उपरांत उसके लिए एक अंग की प्रतीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। सर्वप्रथम प्रभावित व्यक्ति और अंगदान करने वाले व्यक्ति यानी अंगदाता के बीच साम्यता का निर्धारण किया जाता है। रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप, शरीर के आकार, रोगी की गंभीरता, अंगदाता से दूरी, ऊतक के प्रकार और प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित होने की अवधि जैसी स्थितियों के आधार पर अंगदाता को वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, शरीर के अंग का मिलान यानी मैच करना लिंग, जाति, आय और समाज में व्यक्ति के विशेष स्तर के आधार पर बिकूल नहीं किया जाता। प्रतीक्षा अवधि बहुत अधिक होने और अंगदाता नहीं मिलने जैसी स्थितियों में प्रतीक्षा सूची में शामिल औसतन 20 प्रतिशत लोगों की हर रोज मृत्यु हो जाती है। संपूर्ण विश्व में किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुदा प्रत्यारोपण के उदाहरण सर्वाधिक मिलते हैं।

कौन कर सकता है अंगदान

प्रत्येक राज्य में एक अधिकृत समिति होती है जो अंगदान के मामलों की जांच करने के उपरांत संतुष्टि होने पर अनुमति देती है। इस समिति द्वारा अंगदान की पात्रता का निर्धारण किया जाता है। अंगदान करने वाले व्यक्ति की आयु, उसके स्वास्थ्य और अन्य मापदंडों की जांच की जाती है। जीवित व्यक्ति द्वारा अपने किसी अंग या अंग के एक हिस्से को दान करने का निर्णय लिया जा सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों की एक संगठित मेडिकल टीम की सलाह में वह अपने नजदीकी रिश्तेदार अथवा परिवार के किसी सदस्य को गुदा, यकृत के कुछ हिस्से, कुछ ऊतकों का अपने जीवन काल में ही दान कर सकता है। गंभीर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप अथवा ऐसे व्यक्तियों के इलाज के दौरान हुई मृत्यु के बाद मृतक का अंगदान करने के लिए परिवार की सहमति आवश्यक है।



मृत व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को जीवन दान

प्रत्यारोपित किए जाने वाले अधिकांश अंग जीवित व्यक्ति से प्राप्त किए जाते हैं। प्रायः गंभीर चोट लगने, दौरा पड़ने, हार्ट अटैक, अथवा गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी स्थितियों में लोग मृतप्राय अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं, जिनमें अति गंभीर मामलों में मौत हो जाती है। कभी-कभी चिकित्सक ऐसे व्यक्तियों के पहुंचते ही मृत घोषित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के शरीर में सुरक्षित अंगों को अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर उसे जीवनदान दिया जा सकता है।

कहां है भगदड़ की जड़

- एसओपी को अमल न ला पाना बन रही भगदड़ की वजह।
- पुरानी घटनाओं से भी सबक नहीं ले पा रही है व्यवस्था।
- कहीं मजबूरी तो लापरवाही, विशेषज्ञों की राय अलग-अलग।

संभवतः मुख्यमंत्री के भी इस संदेश को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीगण व्यवहारिकता में नहीं ला पा रहे हैं? ऐसे में कहीं मजबूरी तो कहीं लापरवाही ऐसी घटनाओं की वजह बन रही है। हालांकि, इस विषय पर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है। दरअसल, मंदिरों में उमड़ रहे आस्था के जनसैलाब के बीच मच रही भगदड़ चिंताजनक है। जरा-सी लापरवाही, कोई अफवाह या हड़बड़ी के चलते भगदड़ जैसी दुर्घटना होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी भगदड़ में लोगों की जानें भी जा रही हैं। हाल ही में हरिद्वार के मनसा मंदिर में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार के बाद बाराबंकी और लखीमपुर के छोटी काशी मंदिर में भी भगदड़ मची। दरअसल, आस्थावान भीड़ के बीच भगदड़ और मौत होने की घटनाएं पहले भी होती रहीं हैं।

बीड़ प्रबंधन की एसओपी होते हुए भगदड़ की घटनाएं होना स्थानीय व्यवस्था की चूक है। साफ दिखता है कि बिजली की सजावट हो या अन्य जनोपयोगी सुविधाएं, किसी विशेषज्ञ की देखरेख में दूरगामी परिणामों के महेनजर नहीं की जाती।

—अरूण गुप्ता, रिटा. आईपीएस



पहले स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार ऐसे मौकों पर ब्रीफिंग करते थे, बकायदा ट्रेनिंग होती थी। इसमें व्यवस्थाओं के विशेषज्ञ शामिल होते थे। यानि पीडब्ल्यूडी, विद्युत, सिविल डिफेंस आदि। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा?

—नितिन रमेश गोकर्ण, रिटा. आईएसएस


ऐसी घटनाओं के पीछे हम इसे लोकल इंटिलिजेंस का फेल्योर भी कह सकते हैं। प्रसिद्ध मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर कब किस अवसर पर भीड़ उमड़ती है, यह जगजाहिर है। स्थानीय प्रशासन का काम ही भीड़ का पूर्वानुमान लगाना और उसके महेनजर व्यवस्थाएं करनी होती हैं।

—शैलेन्द्र नाथ टंडन, रिटा. जज



भीड़ पर काबू पाने ए.बी.सी जैसे प्लान बनाये जाते हैं। यह भी मौके पर समझा जाता है कि ऐसी जगहों पर करंट, जलभराव, बंदर या जानवर से बचाव कैसे हो? कितनी भीड़ का आंकलन कर समय प्रबंधन करना होता है।

—रविन्द्र के. नायक, रिटा. आईएसएस



धार्मिक आयोजनों अथवा मंदिरों में किसी खास अवसर पर जाने वालों को भी संयम बरतना होगा। रुढ़ीवादी मानसिकता के साथ अपनी व अपने परिजनों की जान खतरे में डालना उचित नहीं। इष्टदेव के प्रति कभी भी आस्था प्रकट की जा सकती है।

—डॉ. माननी श्रीवास्तव



लोगों में सिविक सेंस विकसित करने का अभियान छेड़ना होगा। स्कूल टाइम से ही बच्चों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। कई देशों में ऐसा होता है।

—डॉ. अतुल अग्रवाल, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ बरेली



बिजली, सड़क दुर्घटना और श्वास अवरोधक के आकलन के आधार पर आपातकालीन योजना भी तैयार किए जाने की बात थी। खासकर कार्यक्रम की पूरी जानकारी और वहां आने वालों की अनुमानित संख्या की जानकारी जुटाई जाने के साथ सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए जरूरी पुलिस, पीएसी, केंद्रीय बल, अधिकारियों और संसाधनों का मांग पत्र तैयार किए जाने के इनपुट एसओपी में थे। मजबूत बैरिकेडिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ऑपरेशनल कंट्रोल रूम को भी इसका हिस्सा बनाया जाना था।



उपपत्त्यो

आधी दुनिया

रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेहिल रिश्ते का महत्वपूर्ण और विशेष त्योहार है। यह राखी के नाम से भी लोक प्रचलित है। बहन, भाई की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधती है और उनकी सुरक्षा तथा खुशहाली की कामना करती हुई प्रार्थना करती है। यह केवल भावनात्मक त्योहार नहीं है बल्कि भारतीय सांस्कृतिक निष्ठा का पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक जीवन-मूल्य है। इसकी परंपरा से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र जब दानवों से युद्ध करते हुए परास्त हो रहे थे तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर विजय की प्रार्थना की थी। यह रक्षा सूत्र धागा भर नहीं होता है। उस धागे में लिप्त होता है हृदय का मंगल भाव, शुभकामना का प्रबल प्रभाव, प्रार्थना का दिव्य आलोक।



संजय पंकज
वरिष्ठ लेखक

महाभारत के प्रसंगानुसार श्रीकृष्ण की उंगली में चोट लगने और रक्त बहते देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ कर पट्टी बांधी थी। कृष्ण की ऐसी मुंहबोली बहन थी द्रौपदी जिसे कृष्णा कहा गया। कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था और यथासमय उसके मान-सम्मान की रक्षा की थी। एक पुरानी प्रचलित कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने राजा बली को राखी बांधी थी और अपने पति विष्णु को वापस मांगा था। विष्णु जगत पालक हैं और जगत पालक कहीं एक जगह कैद होगा तो फिर चराचर जगत का क्या होगा? इन कथाओं का प्रतीकात्मक संदेश और अर्थ है। सर्व सामर्थ्यवान भी रक्षाबंधन की स्नेहिल पावनता और अकूत आशीष शक्ति को अस्वीकार नहीं कर सके।

भाई-बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन

इतिहास में भी रक्षा सूत्र के संदर्भ में कई कथाएं हैं। हमेशा विजेता रहने की आकांक्षा से भरा हुए सिकंदर, पोरस की प्रखरता और पराक्रम से विचलित हो गया था। कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी रक्षाबंधन के बारे में जानती थी। उसने भारतीय राजा पोरस को राखी भेजी। पोरस ने बहन की राखी का मान रखा। युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई। सिकंदर के कैद में होने के बावजूद पूरे पराक्रम, आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ राजा पुरू ने सिकंदर को अनुत्तरित किया था। कहते हैं बहन के सुहाग और विश्वास की रक्षा के लिए पोरस ने युद्ध में ढील दे दी थी। रक्षाबंधन की परंपरा उन बहनों ने डाली जो सगी नहीं थीं। मध्यकालीन युग

में चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं से जुड़ी हुई कथा है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी सुरक्षा के लिए रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। उस राखी का मान रखते हुए हुमायूं ने कर्णावती की रक्षा की थी और उन्हें बहन मान सम्मानित किया था। रक्षाबंधन आज भले ही भाई बहन के त्योहार के रूप में रूढ़ हो गया है मगर परंपरा से यह विश्वास और आत्मीय संबंध का एक अमोघ बंधन है। प्रजा और पुरोहित अपने राजा को सुरक्षित रहने के लिए विश्वास का यह सूत्र बांधते थे। इसका प्रचलन आज भी है। ब्राह्मणों के द्वारा यजमानों को, प्रजा के द्वारा पालकों को, पत्नी के द्वारा पति को, गुरु के द्वारा शिष्य को रक्षासूत्र बांधा जाता है। भारतीय स्त्रियां सीमा पर तैनात सैनिकों को स्वयं भी उपस्थित होकर या फिर डाक से राखी भेज कर उनकी रक्षा की प्रार्थना करती हैं। यह त्योहार त्याग, पवित्रता और सहयोग का संदेश देता है। मांगलिक अवसरों पर सबसे पहले गणेश जी को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। राजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु के उपरांत उसके अंधे मां-बाप ने दशरथ को श्राप भी दिया था और उन्हें रक्षा सूत्र में भी बांध दिया था। आज भी गणेश जी के बाद श्रवण को रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है। अमरनाथ की धार्मिक यात्रा रक्षाबंधन के दिन ही पूर्ण होती



कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रकृति के सहोदर होने के नाते उससे लिपटकर भाव विभोर हो जाते थे। भुजाओं का यह बंधन हृदय का बंधन था। वहीं से सभ्य समाज को सुसंस्कृत बनाते हुए मांगलिक परंपराओं की शुरुआत हुई। प्रकृति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी से संचालित होता है परमात्म तत्त्व भी। जीवन-चक्र को संरक्षित, सुरक्षित और संबंधित यही प्रकृति करती है। समस्त प्राकृतिक परिवेश और समस्त प्राणियों के जीवन

अलौकिक है रक्षाबंधन का त्योहार

रक्षाबंधन का त्योहार अलौकिक है। इसे लौकिक रूप में मानवीय संबंधों में आयोजित करते हुए व्यापकता दिया जा रहा है जबकि प्रकारांतर से प्राचीन काल में यह प्रकृति पर्व के रूप में आयोजित होता रहा है। अनेक ऋषि महर्षियों के प्रकृति प्रेम से आगे बढ़कर पराक्रमी योद्धा और तपोनिष्ठ त्यागी परशुराम ने निर्जीव भूमि और निर्जन पठारों को वृक्षारोपण से हरित-भरित कर दिया था। अपने पुरुषार्थ और शौर्य के बल पर उन्होंने समुद्र से बड़े भू-भाग को मुक्त करते हुए उसे हरियाली से आच्छादित कर दिया था। केरल हरियाली से लहालोट भरा हुआ है और यह भूखंड परशुराम ने अर्जित किया था। परशुराम वनवासियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते थे और उनसे उसकी रक्षा का वचन लेते थे। व वनवासियों को रक्षासूत्र बांधते हुए आशीष देते थे तो वनवासी वृक्षों को रक्षासूत्र बांधकर उन्हें सुरक्षित रखने का विश्वास देते थे। प्रकृति से जीव का अत्योनाश्रय संबंध है। जीवन प्रकृति पर निर्भर है। अमंगल इच्छाओं के वशीभूत मनुष्य आज प्रकृति का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। जीवन में चुटन, नवाव और नकारात्मकता का अधिचय होता चला जा रहा है। मनुष्य का जीवन उत्लास, उत्साह और सहयोग से कटता हुआ संवेदनहीन हो रहा है। इस तरह के स्वभाव का कारण प्रकृति की उदासीनता है। प्रकृति और पर्यावरण को आज लहलुहान किया जा रहा है। वृक्षों की बेतहाशा कटाई हो रही है, धरती को जानलेवा जहर से भरा जा रहा है और हवाओं को मारक बारूद से प्रदूषित किया जा रहा है। शोषण, अत्याचार और आतंकवाद का हिंसक पंजा सबको अपनी गिरफ्त में ले रहा है। बुद्धि विपरीत और विकृत हो गई है। जब तक मस्तिष्क को भरपूर शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हृदय में शुद्ध रक्त का संचार नहीं होगा भावना में मयकारात्मकता संभव नहीं है। इसके लिए प्रकृति को संरक्षित, सुरक्षित और संबंधित करने की जरूरत है। सादगी पूर्ण जीवन जीते हुए प्रकृति मां के श्रृंगार और स्वास्थ्य के लिए समर्पित होने की आज सबसे बड़ी जरूरत है। प्रकृति मां के साधु और साधक बेटे, वृक्षों को रक्षाबंधन में विश्वास के साथ बांधने की आवश्यकता है। व्यावहारिकता और वैज्ञानिकता है कि हम प्रकृति को रक्षासूत्र में আবদ্ধ करें। रक्षाबंधन को व्यापकता देते हुए इसे प्रकृति पर्व के रूप में आयोजित किया जाना जीवन, पर्यावरण और मानवीय निर्मल बुद्धि के लिए श्रेयस्कर है।

का संरक्षण पर्यावरण करता है। पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। यह सब कुछ को आवृत किए रहता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के ज्ञानात्मक उपदेश और मांगलिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति इसी दिन होती थी। यज्ञ पूर्ण होने पर वृक्षों पूजा की जाती थी। उनके प्रति आभार और स्नेह-सम्मान प्रकट किया जाता था। पूजित और संकल्पित धागों से उन्हें बांधा जाता था। हमारे पुरखे अपनी रक्षा के लिए प्रकृति और वृक्षों से प्रार्थना करते थे और उन्हें सुरक्षित रखने का दायित्वपूर्ण विश्वास देते थे। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का सुझाव दिया था। माता कुंती ने पौत्र अभिमन्यु की रक्षा के लिए तो माता यमुना ने अपने भाई यमराज को सुरक्षा सूत्र बांधा था। कलाई पर राखी बांधते हुए -

‘येन बद्धो बलि राजा, दानवेंद्रो महाबलः।तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः।’ मंत्र का जाप किया जाता है। इसका अर्थ है-जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। है रक्षे, तुम अडिग रहना। - यह मंत्र रक्षा और समृद्धि का प्रतीक है।

छात्रों में वैज्ञानिक सोच से होगा राष्ट्र का विकास

रोजमर्रा के जीवन में होने वाली समस्याएं और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक नई-नई तरकीबों का इस्तेमाल करना वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। शहर के जीआईसी में बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के माध्यम से अपने भीतर की वैज्ञानिक सोच को उजागर करने का काम कर रहे हैं। इस सप्ताह लगी विज्ञान प्रदर्शनी में अपने अनंत विचारों के साथ बाल वैज्ञानिक पहुंचे जिन्होंने अपने हुनर का लोहा मनवाया। - *शब्बा सिंह तोमर, बरेली*



आधुनिक गैस सिलिंडर...नहीं होंगे हादसे

केडीईएम इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र अनुभव अग्निहोत्री ने घरों व कंपनियों में गैस रिसाव के बाद भयंकर हादसों को देखते हुए एलपीजी गैस सिलिंडर विद एडवांस फीचर तैयार किया। इस मॉडल की विशेषता है कि इसमें गैस के रिसाव को सूंघने वाला एमक्यू 5 गैस सेंसर लगा है। जिसमें ये पूरा सेट गैस सिलिंडर के एडाप्टर से जुड़ा है। गैस का रिसाव होते ही सेंसर से हार्न बजने लगता है, इसके बाद एडाप्टर में लगी मोटर गैस की सप्लाई ऑटोमेटिक बंद कर देती है। और अंत में एग्जॉस्ट फैन स्वतः खुल जाता है। इससे घरों, छोटे रेस्टोरेंट आदि जगहों पर हादसे होने बच सकते हैं।



चूल्हा एक काम अनेक

भुता ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 8 वीं के छात्र सुभलेश ने बहुदेशीय चूल्हे का निर्माण अपने शिक्षकों के सहयोग से किया। सुभलेश के अनुसार वर्तमान समय में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग आज भी ईंधन से चूल्हा जलाते हैं। लेकिन इसके कारण काफी समय व्यर्थ होता है। इसे देखते हुए एक खोखले चूल्हे का निर्माण किया। जिसमें खाना बनाने के साथ डिस्टिन्ड वाटर व अलग से पानी भी गरम किया जा सकता है।

डीसी करंट की तकनीक से फसल बचाने की निकाली तरकीब

उच्च प्राथमिक विद्यालय कांघरपुर के अमन कक्षा आठवीं के छात्र रहे अमन ने आसान वैज्ञानिक सोच ने किसानों की मुश्किलें हल करने की तरकीब निकाली है। जिसका नाम क्रॉप प्रोटेक्शन विदआउट एनी हार्म रखा गया। इससे जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना किसान अपनी फसल बचा सकता है। जिसमें 10 वोल्ट की करंट का इस्तेमाल किया गया है। जब खेत के किनारे लगे दोनों तार आपस में जुड़े तब 100 डीसीवी का हार्न बजने लगता है। जिससे जानवर पीछे हट जाता है। तो वहीं रात में जानवर खेत में घुसने की कोशिश करते हैं तो तार से छूते ही तेज रोशनी उनकी आंखों में पड़ती है। अमन का दावा है कि ये तकनीक बहुत प्रभावी होगी और इससे जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में आरा वाले तार से जानवर घायल हो जाते हैं।



खाना खजाना रबड़ी घेवर....

सावन में रक्षाबंधन त्योहार का मुख्य मिष्ठान्न घेवर लगभग सभी के घरों में खाया जाता है। घेवर एक राजस्थानी मिठाई है जिसकी बनावट मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, जिसे घी, मैदा और चीनी के सिरप से बनाया जाता है। आज हम आपके लिए खास मलाई घेवर की रेसिपी लाए हैं, इसे घर पर बनाना हल्का सा कठिन ज़रूर है पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं।

सावधानी

बेटर बनाने के लिए

- 1 कप मैदा
- 1 टेबलस्पून बेसन
- 3 टेबलस्पून घी
- 1/2 कप ठंडा पानी फ्रिज का
- 5-6 आइस क्यूब

चासनी के लिए

- 1/2 टेबलस्पून नींबू का रस
- 1 कप चीनी
- 1/2 कप पानी
- 1 चुटकी फूड कलर (ऑरेंज)
- 1 चुटकी इलायची पाउडर

रबड़ी के लिए

- 1 किलो दूध
- 1 चुटकी इलायची पाउडर
- 1 चुटकी केसर के रेशे
- 3 टेबलस्पून चीनी

सबसे पहले आप बेटर बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल में 3 चम्मच घी डालकर उसमें 5-6 आइस क्यूब डालें और हल्का हो जाएंगे। इसके बाद 3 से 4 मिनिट में हमारा घी एकदम क्रीमी हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। अब इसमें बेसन मिक्स करें उसके बाद मैदा मिलाए और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हाथ से फेटते हुए पतला बेटर बना लें। पानी थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें। एकदम से नहीं डालना है और डेढ़ कप पानी हमें पूरा डालना है। इसमें गुठलीया नहीं रहनी चाहिए अगर आपको लगे कोई गुठली है तो आप एक जाली वाली छलनी से इसे छान लें। अब मिक्सचर को एक सॉस की बोतल में भर लें। एक पतिले में आधे से कम घी भरे और तेज आंच पर गर्म करें जब एकदम से तेज हो जाए तब धीरे-धीरे करके सॉस की बोतल से बेटर घी में डालते जाएं। जैसे-जैसे बेटर घी में डालेंगे जाली बनती जाएगी और थोड़ा थोड़ा करके बेटर डालते जाएं 5-7 मिनिट तक यही प्रक्रिया दोहराएं। फिर पांच 5 मिनिट बाद हमारा घेवर अच्छे से पक जाएगा और सुनहरा हो जाएगा। अब एक चाकू की सहायता से बीच में थोड़ा सा छेद कर लें और किस्की लंबी डंडी की सहायता से तैयार घेवर को बाहर निकाल लें।

चासनी बनाने के लिए - एक कड़ाही में चीनी, पानी, इलायची पाउडर और कलर को मिक्स करके उबाल लें चासनी ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है -नींबू का रस मिक्स कर दें जिससे चीनी चासनी में जमेगी नहीं।

रबड़ी बनाने के लिए -1 लीटर दूध को आधा होने तक उबाल लें फिर इसमें केसर के रेशे, इलायची पाउडर और चीनी मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं और उसे ठंडा कर लें हमारी रबड़ी तैयार है। अब इस पर तैयार जाली पर रख अब उस पर चम्मच की सहायता से तैयार चासनी फैलाएं। 12 मिनिट रख दें जिससे एक्स्ट्रा चासनी नीचे निकल जाएगी। अब इस पर तैयार रबड़ी लगाए बादाम, पिस्ते, केसर गुलाब के फूल व सिल्वर वर्क से सजाकर रबड़ी के घेवर का आनंद लें।